

ए०एल०बनर्जी,  
आई.पी.एस.



प्रिय महोदय/महोदया,

मा० न्यायालय के महत्वपूर्ण प्रकरण में आपके द्वारा अनुपालन आख्या अथवा अनुपालन किये जाने के प्रमाण-पत्र भेजे जा रहे हैं। मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा भेजे गये अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अधिकतर जगहों से भेजे गये प्रमाण-पत्र गलत थे। यह घोर आपत्तिजनक है।

2. जनपद प्रभारी पुलिस अधीक्षक निर्गत परिपत्रों के अनुपालन हेतु मात्र निर्देशों की प्रतिलिपि अधीनस्थ अधिकारियों एवं थानों को भेजकर अपने कार्य की इतिश्री न समझ लें। उनका दायित्व है कि वह निर्गत परिपत्रों का स्वयं गम्भीरता से अध्ययन कर उनके जनपद में अनुपालन हेतु विस्तृत कार्ययोजनायें बनायें और कार्यशाला का आयोजन कर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके बारे में भली-भौति अवगत करायें। इसके उपरान्त यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्देशों का अनुपालन हो रहा है, स्वयं व अपने अधिकारियों के द्वारा आकस्मिक निरीक्षण करें। यदि अनुपालन प्रशिक्षण की कमी के कारण नहीं हो रहा है, तो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें। उदासीनता एवं लापरवाही के कारण अनुपालन में कमी हो तो सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करें।

3. जोन के पुलिस महानिरीक्षक एवं परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक के पर्यवेक्षण का दायित्व बहुत अधिक होता है। उनका काम है कि वे परिपत्रों के अनुपालन हेतु ऐसी व्यवस्था बनवायें ताकि यह सुनिश्चित हो सकें कि उनका अनुपालन हो रहा है। जनपद में भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक निरीक्षण भी करें। यदि अनुपालन में पुलिस अधीक्षक स्तर पर लापरवाही की जा रही तो उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करें। पुलिस अधीक्षक स्तर से भेजे गये प्रमाण-पत्रों को मात्र संकलित कर अग्रसरित न करें बल्कि कुछ एक प्रकरणों को अकस्मात् चेक कर इस ओर सुनिश्चित हो लें कि प्रमाणपत्र सही है।

4. हाल ही में इस मुख्यालय द्वारा कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को परिपत्रों के अनुपालन में शिथिलता बरतने के लिए चेतावनी निर्गत की गयी है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप मुझे ऐसा मौका नहीं देंगे बल्कि अपनी कर्मठता से यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको इस मुख्यालय द्वारा अच्छे कार्य के लिए प्रशस्ति-पत्र निर्गत किया जाय।

प्रारूप

भवदीय,  
 (ए०एल०बनर्जी) ३/०४/१५

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक,

उत्तर प्रदेश।

समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक,

उत्तर प्रदेश।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से),

प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।